न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 01/2019 दायरा दिनांक 11.07.2019

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

भरत पुत्र भगवानलाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां, जिला–बारां।

– प्रार्थी

बनाम

1. हरगोविन्द पुत्र काशीलाल उर्फ काशीराम जाति खंगार निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान।
2. मेवा पुत्री काशीलाल उर्फ काशीराम पत्नि जगदीश जाति खंगार हाल निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान।
3. रामकली पुत्री काशीलाल उर्फ काशीराम पत्नि काशीलाल जाति खंगार हाल निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान।
4. गुलाबी पत्नि काशीलाल उर्फ काशीराम जाति खंगार निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला–बारां। – अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. **श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री अरविन्द शर्मा, श्री कुवेर यादव, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने बाबत्।

निर्णय दिनांक 29.09.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम बालापुरा पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा भूमि का नियमन दिनांक 26.09.1989 को आवंटन परामर्शदात्री समिति बमुकाम बालापुरा द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के पिता व अप्रार्थी क्रम 4 के पति काशीलाल उर्फ काशीराम पुत्र भोलाराम खंगार के हक में सर्वथा गलत तौर पर विधि एवं नियमों के विरूद्ध किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण के पिता/पति काशीलाल उर्फ काशीराम के हक में नियमन की गई उक्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 60 तथा मूल रकवा 1.01 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2013–14 में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज होकर सार्वजनिक हित में निरन्तर रूप से आम जन के [illegible] होती चली आ रही है, उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] निषिद्ध है जिसमें किसी को भी कोई खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये [illegible], इसके [illegible] भी आवंटन सलाहकार समिति ने बिना कोई जांच व तहकीकात के भूमि [illegible] बिना उक्त [illegible]जनिक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.01 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

लोकोपयोगी गैर मुमकीन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 1.01 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व 4 के पति काशीलाल उर्फ काशीराम के हक में पूर्ण रूपेण नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नियमन की पालना में मूल आराजी खसरा नम्बर 60 मूल रकवा 1.01 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में काशीलाल उर्फ काशीराम के वारिसान अप्रार्थी 1 लगायत 4 के नाम खाता दर्ज है तथा शेष रकवा 11 बिस्वा आज भी गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का नियमन सर्वथा गलत तौर पर कपट व दुर्व्यपदेशन के द्वारा काशीलाल उर्फ काशीराम ने अपने हक में सही तथ्यों को छिपाते हुये कपटपूर्वक कराया है, इस कारण प्रश्नगत नियमन आवंटन/ नियमन नियमावली के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत नियमशुदा भूमि गैर मुमकीन रास्ते की सार्वजनिक एवं आमजन तथा लोकोपयोगी होने के कारण तथा उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी द्वारा अपनी खातेशुदा भूमि 58/5 पर आने जाने हेतु करने के कारण नियम 14 (4) के तहत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त है।

विद्वान अप्रार्थी ने बिन्दुबार जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है। खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा का नियमन सर्वथा वैध रूप से किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा का अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के पिता, क्रम 4 के पति को नियमन किया गया था। नियमन की कार्यवाही को 14(4) आवंटन नियमन मे चुनौती नहीं दी जा सकती। नियमन की अपील संधारणीय नहीं है। नियमन के विरूद्ध केवल रेफरेन्स की कार्यवाही की जा सकती है। 14(4) आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र नियमन के विरूद्ध संधारणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 अस्वीकार है। भूमि रास्ता होना सार्वजनिक आम रास्ते की उपयोग की होना अस्वीकार है। नियमन कमेटी ने विधिवत् तथ्यों की जांच कर नियमन किया है जो पूर्णतयाः वैध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है। नियमन सर्वथा वैधरूप से किया गया है नियमन के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं है। नियमन को चुनौती 14(4) के प्रार्थना पत्र द्वारा नहीं दी जा सकती प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है। लोकोपयोगी रास्ता होना अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। नियमन को केवल रेफरेन्स के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। रेफरेन्स का श्रणवाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल को प्राप्त है। नियमन के विरूद्ध माननीय न्यायालय को श्रणवाधिकार प्राप्त नहीं है। 14(4) का प्रार्थना पत्र केवल आवंटन के मामले में संधाणीय है। नियमन के मामले में 14(4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 अस्वीकार है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि पटवार हल्का गवरेटा ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा भूमि का नियमन दिनांक 26.09.1989 को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के पिता व अप्रार्थी क्रम 4 के पति काशीलाल उर्फ काशीराम पुत्र भोलाराम खंगार के हक में विधि एवं नियमों के विरूद्ध किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि का मूल खसरा नम्बर 60 तथा मूल रकवा 1.01 बीघा किस्म गैर मुमकीन [illegible] रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2013-14 में दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज होकर सार्वजनिक हित में निरन्तर रूप से आम जन के द्वारा [illegible] होती चली [illegible] रही है, उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आवंटन/ [illegible] किसी को भी कोई खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.01 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते, इसके बाबजूद भी आवंटन सलाहकार समिति ने बिना कोई जांच व तहकीकात के भूमि की किस्म तथा मौका स्थिति देखे बिना उक्त सार्वजनिक एवं लोकोपयोगी गैर मुमकीन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 1.01 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व 4 के पति काशीलाल उर्फ काशीराम के हक में पूर्ण रूपेण नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नियमन की पालना में मूल आराजी खसरा नम्बर 60 मूल रकवा 1.01 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में काशीलाल उर्फ काशीराम के वारिसान अप्रार्थी 1 लगायत 4 के नाम खाता दर्ज है तथा शेष रकवा 11 बिस्वा आज भी गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी का नियमन सर्वथा गलत तौर पर कपट व दुर्व्यपदेशन के द्वारा काशीलाल उर्फ काशीराम ने अपने हक में सही तथ्यों को छिपाते हुये कपटपूर्वक कराया है, इस कारण प्रश्नगत नियमन आवंटन/ नियमन नियमावली के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा का नियमन सर्वथा वैध रूप से किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा का अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के पिता, क्रम 4 के पति को नियमन किया गया था। नियमन की कार्यवाही को 14(4) आवंटन नियमन मे चुनौती नहीं दी जा सकती। नियमन की अपील संधारणीय नहीं है। नियमन के विरूद्ध केवल रेफरेन्स की कार्यवाही की जा सकती है। 14(4) आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र नियमन के विरूद्ध संधारणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नियमन कमेटी ने विधिवत् तथ्यों की जांच कर नियमन किया है जो पूर्णतयाः वैध है। नियमन को केवल रेफरेन्स के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। रेफरेन्स का श्रणवाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल को प्राप्त है। नियमन के विरूद्ध माननीय न्यायालय को श्रणवाधिकार प्राप्त नहीं है। 14(4) का प्रार्थना पत्र केवल आवंटन के मामले में संधाणीय है। नियमन के मामले में 14(4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि आवंटन सलाहकार समिति ने बिना कोई जांच व तहकीकात के भूमि की किस्म तथा मौका स्थिति देखे बिना उक्त सार्वजनिक एवं लोकोपयोगी गैर मुमकीन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 1.01 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि नियमन अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के पिता व 4 के पति काशीलाल उर्फ काशीराम के हक में पूर्ण रूपेण नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी तरीके से कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 174/60 रकबा 10 बिस्वा का अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के पिता, क्रम 4 के पति को नियमन किया गया था। नियमन की कार्यवाही को 14(4) आवंटन नियमन मे चुनौती नहीं दी जा सकती। नियमन की अपील संधारणीय नहीं है। नियमन के विरूद्ध केवल रेफरेन्स की कार्यवाही की जा सकती है। इससे हम सहमत है, यह अपील रेफरेन्स के माध्यम से किया जाना उचित होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.09.1989 को अप्रार्थी क्रम 1 से 3 के पिता, क्रम 4 के पति को नियमन किया गया था। नियमन की कार्यवाही को 14(4) आवंटन नियमन मे चुनौती नहीं दी जा सकती। नियमन की अपील संधारणीय नहीं है। नियमन के विरूद्ध केवल रेफरेन्स की कार्यवाही की जा सकती है। भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.01 16:30:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)